

अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएमईआई)

अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन 11 नवम्बर 2004 को अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने तथा उन्हें चलाने तथा अन्य संबद्ध मामलों पर संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार को सलाह देने के लिए किया गया था। आयोग के अधिकारों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से और विस्तार किया गया है।

www.ncm.nic.in